न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. राजीब सरकार पुत्र गिरीश सरकार, जाति- कायस्थ, निवासी- 103, ए. सहारा अपार्टमेन्ट, सेक्टर 14, गोवर्धन विलास, उदयपुर, जिला- उदयपुर
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)

फर्मः- स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड, ढुंढाई नीलकण्ड रोड, माउन्ट आबू,जिला-सिरोही

2. दिनेश कुमार गोयल पुत्र लालचन्द गोयल, बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सलायर)

फर्मः- लालचन्द दिनेश कुमार, बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू जिला- सिरोही

3/1. विनय सिंघल पुत्र नानक राम सिंघल, निवासी- 70 सुजुकी एन्क्लेव, चित्तौड रोड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.) - 311001

3/2. कुसुम सिंघल पत्नि विनय सिंघल, निवासी-69/70, सुजुकी एन्क्लेव, रामधाम के पास, भीलवाडा (राज.) - 311001

3/3. अक्षय अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल, निवासी- 69, सुजुकी एन्क्लेव, चित्तौड रोड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.) - 311001

3/4. शिखा अग्रवाल पत्नि अक्षय अग्रवाल, निवासी- 69, सुजुकी एन्क्लेव, चित्तौड रोड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.) - 311001

(प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 भागीदार निर्माता फर्म अक्ष कुबेर सोरटेक्स प्रा.लि)

4. Aksh Kuber Sortex Private Limited, 69/70 Enclave,Chittorroad, Bhilwara(Raj.)
Add.- aaraji No.5994/2417, 5995/2418, 5996/2416, Village-Banera, Kankoliya Choraha, Tehsi-Banera, Bhilwara (Raj.)-311001

प्रकरण संख्याः 56/2021

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

-: निर्णय :- **दिनांक 18 अप्रेल, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 27.11.2020 को 11.00 ए.एम. पर फर्म स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड, गांव-ढुंढाई, नीलकण्ड रोड, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से राजीब सरकार पुत्र गिरीश सरकार, जाति- कायस्थ, निवासी- 103, ए. सहारा अपार्टमेन्ट, सेक्टर 14, गोवर्धन विलास, उदयपुर उपस्थित मिले जो स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड में खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) का उपयोग आम जनता के लिये खाना आदि बनाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:07 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

बेचने में करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के स्टोर में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड बैग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से एक पैक्ड बैग खोलगर बैग में मौजूद मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप किये हुए खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोने में खरीदा एवं मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 56/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाये एवं खरीदशुदा मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को चारों खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार को ढक्कन से एयरटाईट बंदर किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1298, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1298 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध क़र नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर राजीब सरकार व गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 01.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 27.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म [illegible] सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित[illegible] द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न [illegible] को अभिहित अधिकारी

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:07 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) का नमूना S-1298 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 04.4.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। ऐसी स्थिति में, प्रकरण को न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

(4) हमनें न्याय निर्णयन आवेदन एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 27.11.2020 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड, ग्राम ढुंढाई, नीलकण्ड रोड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर की हैसियत से राजीब सरकार पुत्र गिरीश सरकार, जाति- कायस्थ, निवासी- 103 ए., सहारा अपार्टमेन्ट, सेक्टर 14, गोवर्धन विलास, उदयपुर, जिला- उदयपुर उपस्थित मिले, जो स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड में खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) का उपयोग आम जनता के लिये खाना आदि बनाकर बेचने में करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के त[illegible] सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य [illegible] एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] भरकर दी एवं

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रे
सिरोही-307001.

रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह के समक्ष होटल के स्टोर में आम जनता के खाना बनाने हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड बैग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से एक पैक्ड बैग को खोलकर मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुये खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोन में खरीदा एवं खरीदशुदा मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 56/- (अक्षरे रुपये छप्पन मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता राजीब सहरकार को अदा कर कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं खाद्य कारोबारकर्ता राजीब सरकार को चार साफ, सूखे एवं खाली प्लसाटिक के जार दिखाकर खरीदशुदा मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को चारों जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना जार को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1298, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता राजीब सरकार व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1298 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता राजीब सरकार व उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, लेबल की प्रति एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म स्टर्लिग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड, ग्राम ढुंढाई, नीलकण्ठ रोड, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर राजीब सरकार से खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग [illegible] में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी [illegible] अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:45:07 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज पांच पर

अधिकारी ने दिनांक 01.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 27.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1298 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1004/Act/2020/1002 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म स्टर्लिंग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता राजीब सरकार से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) का नमूना S-1298 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर बैच नम्बर व निर्माण/पैकिंग तिथि अंकित नही थी, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(8) व 2.2.2(9) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/179-82 दिनांक 12.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी राजीब सरकार व निर्माता फर्म अक्ष कुबेर सोरटेक्स प्रा.लि. को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म स्टर्लिंग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड, ग्राम ढुंढाई, नीलकंठ रोड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के पैकड बैगों को फर्म लालचन्द दिनेश कुमार, बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही से बिल इनवोईस दिनांक 18.11.2020 के द्वारा क्रय किये थे, जो प्रतिवादी दिनेश कुमार गोयल पुत्र लालचन्द गोयल, निवासी- बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही की फर्म है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Aksh Kuber Sortex Private Limited (प्रतिवादी संख्या-4) है, जिसके निदेशकगण प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:07 IST
Reason: SelfAttested

...पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म स्टर्लिंग हॉलिडेज रिसोर्ट लिमिटेड, ग्राम- ढुंढाई, नीलकंठ रोड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी दिनेश कुमार गोयल पुत्र लालचन्द गोयल, निवासी- बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लालचन्द दिनेश कुमार, बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मैदा (चारभुजा ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म Aksh Kuber Sortex Private Limited, 69-70 Enclave, Chhitorroad, Bhilwara (raj.), Add.- Aaraji No.5994/2417, 5995/2418, 5996/2416, Village-Banera, Kankoliya Choraha, Tehsil-Banera, Dist. Bhilwara (raj.) पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी निर्माता फर्म Aksh Kuber Sortex Private Limited पर आरोपित जुर्माना राशि इस न्यायालय में जमा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 उत्तरदायी होंगे। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:07 IST
Reason: SelfAttested